

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)

किच्छा (ऊधम सिंह नगर), उत्तराखण्ड



**Date and time of meeting : Wednesday, 20th day of
December, 2023 at 11:30 AM**

**बैठक का दिनांक व समय : बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023
पूर्वाह्न 11.30 बजे**

**Date of Notice : 25 day of November, 2023
नोटिस का दिनांक : 25 नवम्बर, 2023**

**वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2023
YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023**

**वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे
ANNUAL REPORT & ACCOUNTS
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड,
किच्छा (ऊधम सिंह नगर)**

**दि० 25.11.2023 को कम्पनी के निदेशक मंडल व
प्रबंधकीय संवर्ग का विवरण**

निदेशक मण्डल व प्रबंधकीय संवर्ग	
अध्यक्ष व निदेशक	: श्री विजय कुमार यादव
निदेशक	: श्री मेहरबान सिंह
अधिशाली निदेशक	: श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया
मुख्य वित्तीय अधिकारी	: श्री संजय कुमार पाण्डेय
कम्पनी सचिव	: श्री हर्ष तिवारी

51वीं वार्षिक साधारण बैठक	वित्तीय वर्ष 2022-23
दिन व दिनांक : बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023	वैधानिक : मै० मनोज वत्सल एण्ड कम्पनी, संपरीक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स पता - हल्द्वानी, उत्तराखण्ड -263139
समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे	
बैठक स्थल : किच्छा शुगर कम्पनी लि०, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)।	लागत : मै० सतनाम सिंह सग्गू, कास्ट संपरीक्षक एकाउन्टेंट पता - र - 2(171-अ), खिड़की एक्सटेंशन, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017

कम्पनी के सदस्य/अंशधारक	
अंशधारक का नाम	अंशधारिता का प्रतिशत
माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड	: 97.49 प्रतिशत
गन्ना कृषक	: 2.51 प्रतिशत
1. सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, हल्द्वानी तथा किच्छा के माध्यम से	
2. तराई सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, पन्तनगर के माध्यम से	

किच्छा शुगर कम्पनी लि.,
(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)
पंजीकृत कार्यालय-किच्छा-263148(पू.उ.रे.)
जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)



KICHHA SUGAR CO. LTD.

(A Uttarakhand Govt. Undertaking)
Regd. Office : Kichha-263148(N.E.R.)
Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

CIN: U15421UR1972SGC003513 GSTIN: 05AABCK6699R1ZL

Contact No. 8392928200 Website: www.kichhasugar.in

E-Mail: Kichha_sugar@yahoo.co.in/ sugarkichha@gmail.com

सेक / किच्छा / 2023-24 / 1854

दिनांक: 25 / 11 / 2023

सेवा में,
समस्त अंशधारक,
किच्छा शुगर कं. लि.

विषय: 51वीं वार्षिक साधारण बैठक (AGM) की सूचना।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि किच्छा शुगर कम्पनी लि० के सदस्यों की 51वीं वार्षिक साधारण बैठक दिन बुधवार दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को पूर्वाह्न 11.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सामने स्थित अतिथि गृह, किच्छा, जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) -263148 में निम्न प्रयोजनार्थ होगी :-

साधारण प्रयोजन से :

1. 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के निदेशकों का अंशधारकों को प्रतिवेदन, वैधानिक सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी, कैश फ्लो, सम्परीक्षित लाभ-हानि खाता तथा उसी दिनांक की स्थिति-पत्रक पर विचार एवं स्वीकृति।

विशेष प्रयोजन से :

1. **अतिरिक्त निदेशकों का नियमितिकरण:-**

यह निर्णय लिया गया है कि श्री देव व्रत राना (डी.आई.एन.:02910081) और श्री धमेन्द्र सिंह (डी.आई.एन.:10085124) धारण करते हैं, जिन्हें निदेशक मण्डल ने 24.01.2023 को हुई बैठक में धारा-161(1) के तहत कम्पनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं अन्य लागू प्रावधानों (किसी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) और कम्पनी के एसोसिएशन के लेखों के लागू प्रावधान और जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पद पर है, एतद्वारा कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

क्रमश...2

किच्छा शुगर कम्पनी लि.,



KICHHA SUGAR CO.
LTD.

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)
पंजीकृत कार्यालय-किच्छा-263148(पू.उ.रे.)
जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

(A Uttarakhand Govt. Undertaking)
Regd. Office : Kichha-263148(N.E.R.)
Distt. Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

CIN: U15421UR1972SGC003513 GSTIN: 05AABCK6699R1ZL
Contact No. 8392928200 Website: www.kichhasugar.in
E-Mail: Kichha_sugar@yahoo.co.in/ sugarkichha@gmail.com

(2)

आगे संकल्प लिया गया है कि श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, अधिशासी निदेशक महोदय को कम्पनी के लिए और उसकी ओर से सभी आवश्यक कदम उठाने और ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया गया है। जो इस संबंध में आवश्यक समझे जा सकते हैं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

स्थान : किच्छा।
दिनांक : 25.11.2023

(त्रिलोक सिंह मर्तोलिया)
अधिशासी निदेशक
DIN: 09311718

प्रतिलिपि:

1. समस्त निदेशक
2. सी.एण्ड ए.जी.
2. वैधानिक सम्प्रेक्षक

अधिशासी निदेशक



CIN: U15421UR1972SGC003513 GSTIN: 05AABCK6699R1ZL
Contact No. 8392928200 Website: www.kichhasugar.in
E-Mail: Kichha_sugar@yahoo.co.in/ sugarkichha@gmail.com

किच्छा शुगर कम्पनी लि० के निदेशकों का अंशधारकों को प्रतिवेदन

सम्मानित सदस्य,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के सम्प्रीक्षित लेखा विवरण, वैधानिक संप्रेक्षकों के प्रतिवेदन के साथ आपकी कम्पनी के कारोबार तथा संचालन पर 50वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्नलिखित हैं:-

विवरण	वर्तमान वित्त वर्ष (2022-23)	विगत वित्त वर्ष (2021-22)
कुल आय	17075.40	22184.22
कुल व्यय (ह्रास के समायोजन से पूर्व)	22112.71	26144.97
ह्रास एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(5037.31)	(3960.75)
घटायें:- ह्रास	34.32	36.21
ह्रास के बाद लाभ/(हानि)	(5071.63)	(3996.96)
घटायें : - 1. विशिष्ट मद	100.69	1.50
2. असाधारण मद	3639.79	6024.84
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	(1331.15)	2026.38

कम्पनी के व्यवसाय की स्थिति :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आपकी कम्पनी का प्रदर्शन ऊपर दिया गया है। उपरोक्त वित्तीय परिणाम में बिक्री से उत्पन्न आय को शामिल किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ₹0 2,026.38 लाख (केवल दो हजार छब्बीस लाख और अड़तीस हजार रुपये) के लाभ में तुलना में 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में ₹0 1,331.15 लाख (एक हजार तीन सौ इक्कतीस लाख और पन्द्रह हजार) की हानि हुई है।

आपकी कम्पनी चीनी, उसके सह-उत्पादों जैसे-शीरा, खोई, प्रेसमड के निर्माण और व्यापार में शामिल है।

निदेशक मण्डल ने मिल को कम खर्च तथा अत्यधिक क्षमता पर चलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किये हैं। आपके निदेशक संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और कम्पनी के आगे के विकास के विभिन्न रास्ते तलाशने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपके निदेशकों को आने वाले भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है।

आपके निदेशक कम्पनी के भविष्य के विकास के लिए लगातार ऐसे आशाजनक मौकों की तलाश कर रहे हैं जिसमें अपार सम्भावनाएं हो।

कम्पनी में हानियों के प्रमुख कारण:-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 51 करोड़ की हानि हुई, जिसमें ₹0 18 करोड़ उत्तराखण्ड सहरका के शसकीय ऋणों पर ब्याज का प्राविधान किया गया है शेष कैंश हानि के कारण यह है कि चीनी की उत्पादन लागत एवं औसत विक्रय मूल्य क्रमशः ₹0 4186 और 3386.64 प्रति कुन्तल रहे। 4,44,450 कुन्तल चीनी उत्पादन लागत व चीनी विक्रय दर के अन्तर ₹0 779 प्रति कुन्तल की दर से ₹0 35.51 करोड़ की कैंश हानि हुई।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन :-

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

परिचालन परिणाम:-

पिछले दस पेराई सत्रों के तुलनात्मक परिचालन परिणाम निम्न प्रकार हैं-

पेराई सत्र	कुल कार्य दिवस	पेरा गया गन्ना (लाख कु० में)	कुल चीनी उत्पादन (कुन्तल में)	पोल : गन्ना	औसत चीनी पर्ता : गन्ना	औसत चीनी की हानि : गन्ना
2012-13	120	36.57	337437	11.29	9.17	2.13
2013-14	104	31.80	280480	10.74	8.64	2.11
2014-15	113	36.59	341320	11.29	9.24	2.06
2015-16	101	31.30	303730	11.69	9.63	2.07
2016-17	104	32.47	325150	11.96	9.93	2.03
2017-18	141	44.21	454053	12.33	10.22	2.11
2018-19	144	41-49	443425	12.74	10.70	2.04
2019-20	159	45.59	478283	12.63	10.49	2.15
2020-21	143	39.73	426490	12.74	10.73	2.02
2021-22	131	39.17	405761	12.29	10.36	1.94
2022-23	130	41.90	434387	12.44	10.37	2.07

पेराई सत्र	उपलब्ध घंटों की हानि :	24 घंटे में गन्ना पेराई रुकावटों सहित (कु० में)	24 घंटे में गन्ना पेराई रुकावटों को छोड़कर (कु० में)	22 घंटे में गन्ना पेराई रुकावटों को छोड़कर (कु० में)	क्षमता उपयोग :
2012-13	10.25	30692	34200	31350	76.73
2013-14	11.72	30750	34834	31932	76.88
2014-15	7.00	32385	34980	32101	81.32
2015-16	8.70	30991	33886	31062	78.80
2016-17	8.03	31221	33823	31004	79.51
2017-18	9.85	31354	35042	32122	78.95
2018-19	15.60	28810	34286	31428	72.30
2019-20	20.19	28957	36280	33256	72.39
2020-21	16.20	28025	33443	30656	70.06
2021-22	15.25	30309	35762	32782	74.76
2022-23	10.44	32339	36113	33104	80.84

गन्ना प्रबन्धन :-

चीनी मिल की दैनिक पेराई क्षमता 4000/वास्तविक गन्ना पेराई 3600 टी.सी.डी. के अनुसार लगभग 50.0 लाख कु० गन्ने की आवश्यकता है जिसके सापेक्ष पेराई सत्र 2022-23 में 41.90 लाख कुन्तल गन्ना प्राप्त हुआ। पेराई सत्र 2023-24 में कुल 40.00 लाख कु० गन्ना आपूर्ति होने का अनुमान है शेष कमी को पूरा करने के लिए मिल के सुरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त सट्टा करने व गन्ना विकास का क्रियान्वयन कर गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है तथा ऐसे कृषक जो गन्ने की खेती करते हैं परन्तु गन्ना समिति के सदस्य नहीं हैं, सदस्य बनाया जा रहा है।

गन्ना विकास :-

यह चीनी मिल सुरक्षित क्षेत्र के गन्ना कृषकों के बेहतर हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के गन्ना विभाग द्वारा आयोजित विभिन्न गन्ना विकास कार्यों में बराबर सहयोग देती रही है तथा गन्ने की शीघ्र पकने वाली व उन्नतशील किस्मों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा निम्न विकास योजनाओं में योगदान दिया गया :-

क) गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

1. गन्ना बीज बदलाव कार्यक्रम के अन्तर्गत शरद एवं बसन्तकालीन गन्ना बुवाई में कृषकों को गन्ने की शीघ्र पकने वाली एवं उन्नत किस्मों के गन्ना बीज की बुवाई करायी जा रही है।
2. गन्ना शोध केन्द्रों से लाये जाने वाले बीज पर शत-प्रतिशत यातायात व्यय चीनी मिल वहन करती है।
3. गन्ने की फसल के लिए बीज एवं भूमि उपचार पर प्रयोग होने वाले कीटनाशकों पर 15 प्रतिशत अनुदान चीनी मिल द्वारा दिया जा रहा है।
4. राज्य के बाहर 'करनाल (हरियाणा)' एवं 'फरीदकोट (पंजाब)' में स्थापित गन्ना शोध/संवर्धन केन्द्रों से कृषकों को नवीनतम व उत्तम प्रजाति के गन्ना बीज वितरण, गन्ना विकास परिषद के माध्यम से किया जा रहा है तथा क्षेत्र में शीघ्र प्रजाति के गन्ने का विकास कराया जा रहा है।
5. शोध केन्द्रों के गन्ना बीज की दर एवं शासन द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्यान्तर का भुगतान मिल वहन करती है।
6. कृषकों हेतु रियायती दरों पर प्रेसमड की सुविधा उपलब्ध है।
7. गन्ना बुवाई पर विशेष अनुदान :- शीघ्र प्रजाति गन्ने की प्रजातियां जैसे COJ 85, CO 0239, 0118, 15023, COS 13235, COLK 14201, COPb-95 एवं 96 की बुवाई करने वाले कृषकों को आन्तरिक परिवहन शुल्क के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
8. गन्ना विकास परिषद के साथ समन्वय बनाते हुए कृषकों को मृदा परीक्षण की सुविधा दी जा रही है।

ख) गन्ने की उन्नत खेती करने एवं प्रति हैक्टेयर अधिक पैदावार व चीनी परता प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषकों को ट्रेन्च विधि से 4-5 फुट की दूरी पर गन्ना बुवाई हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गतवर्ष काफी क्षेत्र में बुवाई करायी गयी एवं आगामी बुवाई में अधिक से अधिक क्षेत्रफल में ट्रेन्च विधि से बुवाई कराने की योजना है।

ग) मिल स्तर पर गन्ना बीज फार्म की स्थापना :

मिल के पास 12.000 हैक्टेयर का फार्म है जिसमें विभिन्न गन्ना अनुसंधान केन्द्रों से प्रमाणित गन्ना बीज लाकर पौधशाला अधिष्ठापित की जाती है। आलोच्य वर्ष में फार्म पर को-15023 प्रजाति लगाई गयी।

हमारी योजना गन्ना उत्पादकों को निम्नलिखित शीघ्र प्रजाति के गन्ना बीज का उत्पादन और वितरण करना है:-

को.पी.बी. 95, 96, 98, को. 118, 239, 12029, 13035, 15023, को.एल.के.11203, 14201 और कोसा. 13235.

लाभांश :-

आपके निदेशकों को यह व्यक्त करते हुये अत्यन्त खेद है कि संचित हानियों के कारण आपके निदेशक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते है।

पूँजी संरचना :-

आलोच्य वर्ष के दौरान कम्पनी की अंशपूँजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अधिकृत अंशपूजी :-

आपकी कम्पनी की अधिकृत अंशपूजी 2030 लाख रुपये रही जो 1000 रुपये प्रत्येक के 3000-9% (कम्पनी कर से मुक्त किन्तु श्रोत पर कर कटौती के योग्य) विमोच्य संचयी वरीयता अंश तथा 100 रुपये प्रत्येक के 20 लाख साम्य अंशों में विभाजित है।

निर्गमित अंशपूजी :-

आपकी कम्पनी की निर्गमित अंशपूजी 18,40,63,500 रुपये रही जो 100 रुपये प्रत्येक के 18,40,635 साम्य अंशों में विभाजित है।

अभिदत्त अंशपूजी :-

आपकी कम्पनी की अभिदत्त अंशपूजी 17,99,04,200 रुपये रही जो 100 रुपये प्रत्येक के 17,99,042 साम्य अंशों में विभाजित है।

दत्त अंशपूजी :-

आपकी कम्पनी की दत्त अंशपूजी 17,98,64,300 रुपये रही जो 100 रुपये प्रत्येक के 17,98,643 साम्य अंशों में विभाजित है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी की 97.49 प्रतिशत अंशपूजी माननीय राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड के नाम धारित रही। अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अन्तर्गत आपकी कम्पनी उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम बनी हुई है।

पर्यावरण संरक्षण :-

आपकी कम्पनी में पर्यावरण संरक्षण की पर्याप्त व्यवस्था है। शासन द्वारा रु0 3.07 करोड़ मूल्य के, पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड के नार्मस् के अनुसार वेट स्क्रबर तथा Tertiary Treatment Plant एवं ऑन लाइन मानिट्रिंग सिस्टम की स्थापना करायी गई है जोकि सत्र 2017-18 से 2022-23 में संतोषजनक रूप से उपयोग में आये।

मिल संचालन से ऐसा कोई शोर उत्पन्न नहीं होता है जिससे मिल परिसर/कालोनी परिसर अथवा उसके बाहर आम जनजीवन प्रभावित होता हो।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :-

कम्पनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है। आलोच्य वर्ष में कम्पनी में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो आवेदन प्राप्त हुए थे उन सभी आवेदनों का निस्तारण 31 मार्च, 2022 तक कर दिया गया।

औद्योगिक सम्बन्ध :-

आलोच्य वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी के श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के संबंध मधुर एवं सौहार्दपूर्ण रहे जिससे पेराई सत्र सफलता पूर्वक सम्पन्न हो सका।

निदेशक व प्रबन्धकीय संवर्ग का विवरण :-

कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के प्रबन्धन इसके मुख्य प्रबन्धकीय संवर्ग को सौंपा गया है जो बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करते हैं। हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने के दीर्घकालिक उद्देश्य को पूरा करने हेतु निदेशक मण्डल (बोर्ड), प्रबन्धन के कार्यों और प्रदर्शन की निगरानी तथा समीक्षा करता है।

आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल में निम्नलिखित निदेशक व मुख्य प्रबन्धकीय अधिकारी शामिल हैं—

क्र०सं०	नाम	पद नाम	डिन/पैन
1	श्री विजय कुमार यादव, आई०ए०एस०	अध्यक्ष	09462188
2	श्री उदयरज सिंह	नामित निदेशक	07205715
3	श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, पी०सी०एस०	पूर्णकालिक निदेशक (अधिशारी निदेशक)	09311718
4	श्री देव व्रत राना	स्वतंत्र निदेशक	02910081
5	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	स्वतंत्र निदेशक	10085124
4	श्री संजय कुमार पाण्डेय	मुख्य वित्तीय अधिकारी	AUSPP4490R
5	श्री हर्ष तिवारी	कम्पनी सचिव	ARHPT544411A

वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान निदेशक मण्डल तथा मुख्य प्रबन्धकीय संवर्ग में निम्नलिखित परिवर्तन हुये:—

- दिनांक 24.01.2023 से श्री देव व्रत राना उत्तराखण्ड शासन के द्वारा नामांकन वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप श्री चन्द्रेश कुमार यादव को अध्यक्ष व निदेशक पद से पदमुक्त किया गया।
- दिनांक 23.08.2022 से श्री रविकांत सेठ को निदेशक पद से अवमुक्त किया गया।
- दिनांक 23.08.2022 से श्री प्रवीण जायसवाल को मुख्य लेखा अधिकारी के पद से अवमुक्त किया गया।
- दिनांक 23.08.2022 से श्री संजय कुमार पाण्डेय को मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठक :-

आलोच्य वर्ष के दौरान दिनांक 25.04.2022, 23.08.2022, 27.09.2022 एवं 24.01.2023 को निदेशक मण्डल की 4 बैठकें आयोजित की गयी जिसके सम्बन्ध में उचित सूचना दिये गये और कार्यवाही को कम्पनी द्वारा रखी गई कार्यवृत्त पुस्तक में दर्ज कर हस्ताक्षरित कराया गया।

स्वतंत्र निदेशक :-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार आपकी कम्पनी में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना आवश्यक है। निदेशक मण्डल की वार्षिक साधारण बैठक में दिनांक 24.01.2023 को दो स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया है। जिन्हें आगामी वार्षिक साधारण बैठक में नियमित किया जायेगा। जिनका विवरण निम्नलिखित है:—

- श्री देव व्रत राना डीन नं० 02910081
- श्री धर्मेन्द्र सिंह डीन नं० 10085124

कम्पनी के निदेशक मण्डल की समितियां :-

कम्पनी के प्रभावी और कुशल कार्य संचालन हेतु निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है—

1. संप्रेक्षा समिति:—

आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है, इसके कारण कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के कुछ प्रावधान आपकी कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, निदेशक मण्डल ने दिनांक 24.01.2023 को दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए हैं और वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपरोक्त स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कोई भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं की गई है, इसलिए आगामी वित्त वर्ष तक ऑडिट समिति के गठन को स्थगित किया जाता है।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति:-

पूर्व में विदित है कि आपकी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है और दिनांक 05 जून, 2015 को डबल द्वारा जारी अधिसूचना के कारण धारा 178 के कुछ प्रावधान आपकी कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। कम्पनी मानव संसाधन को अपनी अमूल्य सम्पत्ति मानती है। आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने दिनांक 24.01.2023 को 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद कोई भी बोर्ड बैठक आयोजित नहीं हुई है, इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन को स्थगित किया गया है।

सदस्यों/अंशधारकों की बैठक :-

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कम्पनी की 51वीं वार्षिक साधारण बैठक बुधवार, दिनांक 20.12.2023 को अपराह्न 11.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सामने स्थित अतिथि गृह, किच्छा में आयोजित की गयी।

वर्ष के दौरान आयोजित कम्पनी की असाधारण आम बैठक का विवरण :-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की गयी।

लागत लेखा-परीक्षा :-

निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए चीनी के निर्माण से सम्बन्धित खातों के ऑडिट के लिए श्री सतनाम सिंह समूह, लागत लेखाकार को लागत लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत दिये गये ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण :-

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई भी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किये गये।

कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अन्त और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें :-

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले बोर्ड में निम्नलिखित परिवर्तन हुये हैं:-

1. दिनांक 29.06.2023 को श्री उदयरज सिंह, नामित निदेशक पद से पदमुक्त हुए।
2. दिनांक 05.07.2023 को श्री मेहरबान सिंह, नामित निदेशक पद पर नियुक्त हुए।
3. दिनांक 03.08.2023 को श्री सौरभ गुप्ता, कम्पनी सचिव पद से अवमुक्त हुये।
4. दिनांक 16.08.2023 को श्री हर्ष तिवारी, कम्पनी सचिव पद पर नियुक्त हुए।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष के अन्त और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच ऐसे कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें नहीं हैं जो कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हों।

संबन्धित पक्षों के साथ किये गये अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण :-

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत किसी भी संबन्धित पार्टी से कोई लेन-देन नहीं किया है।

बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के, अपने निदेशकों और अपनी समितियों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला विवरण :-

आपकी कम्पनी की चुकता अंश पूंजी रू0 25 करोड़ से कम है, इसलिए बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के, अपने निदेशकों और समितियों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला विवरण कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

कम्पनी (नियुक्त और प्रबन्धकीय कर्मियों के पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के पारिश्रमिक का विवरण :-

आपकी कम्पनी का कोई भी कर्मचारी जो पूरे वित्तीय वर्ष में कार्यरत था, कुल मिलाकर रू0 1,02,00,000 या उससे अधिक का पारिश्रमिक नहीं प्राप्त कर रहा था या यदि वित्तीय वर्ष के किसी हिस्से के लिए नियोजित किया गया था तो रू0 8,50,000 प्रतिमाह या उससे अधिक का पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

कम्पनी की भविष्य में सतत् संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का विवरण :-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नियामकों या अदालतों द्वारा ऐसे कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं।

उन कम्पनियों के नाम जो वर्ष के दौरान कम्पनी की सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी बनी हैं :-

वर्ष के दौरान कोई भी कम्पनी सहायक कम्पनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कम्पनी नहीं बनी है।

जमा :-

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और नियमों के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

संवैधानिक लेखा-परीक्षक :-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अपने नियुक्ति पत्र दिनांक 20.03.2023 के माध्यम से मै0 मनोज वत्सल एण्ड कम्पनीज, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, हल्द्वानी को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक खातों की वैधानिक लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया था।

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :-

संवैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा अपने रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की गई है, जिस पर कम्पनी प्रबन्धन द्वारा निम्नलिखित शब्दों में अपनी आख्या प्रस्तुत की गई है:-

STATUTORY AUDITORS' OBSERVATION	MANAGEMENT REPLY
<p>A. We draw attention to Note 6 of the statement of financial position, the company has defaulted on several loans advanced by the state government amounting to a total outstanding of long-term debt of Rs. 1,16,31,69,323 on which interest accrued during the year is Rs.18,35,09,415.64. No clarification has been received regarding the total interest accrued up to 31.03.2023 of Rs. 2,23,79,29,561.64. Where the interest accrued amount has far exceeded the principal loan amount, charging further interest on defaulted loan where there is uncertainty regarding repayment of interest, we advise no further interest should either be charged or provided for but instead be properly disclosed in the Notes to accounts highlighting the material uncertainty that arises on the going concern assumption in case the interest becomes payable along with possible government action regarding the same.</p>	<p>Management of the Company took note of the opinion given by the Auditor and has assured to make best efforts to align respective matter after taking observation of CAG.</p>
<p>B. The defaulted loans received from the state government have been classified under other current liabilities- current maturity of long-term debt. The management reply regarding such treatment was on account of lack of clarity regarding the government's action for such loans, such classification was followed. This presents a skewed CA ratio as the entire defaulted loan amount is presented under other current liabilities. Since the loan is not expected to be settled with the next 12 months, it's classification as current liability is inconsistent with conceptual accounting framework.</p>	<p>Defaulted loans received from the state government have been classified under other current liabilities- In this regard Management of the Company wants to convey that Loans which are not repaid within the due date are treated as current liability as upto now there is no repayment plan has been finalized. We will make efforts as per the opinion from the auditor after taking observation from the CAG.</p>
<p>C. As per new directives, the payment outstanding to MSME for period exceeding 45 days would be disallowed in the next year and should be provided for 18% of the outstanding amount. On inspection we came across Creditors for material and supplies belonging to MSME amounting to 5,63,552.4 for which a provision should be created for Rs. 1,01,439.43. Kindly refer Annexure 1</p>	<p>Management of the Company are committed to the compliance of the Directives, rules and regulations of the concerned act hence we took note of the opinion provided by the Auditor and assuring that we will comply as per the directives in the upcoming year.</p>

<p>D. A NSC pledged with the government for Rs. 2000/- does not accrue any interest income, the management response regarding the same was the pledged NSC is seized by the government with the management lacking clarity regarding the treatment for the same and therefore the recommended treatment suggested to management is to write off the NSC from the financial statements as it does not present a true and fair view.</p>	<p>As per the opinion of the Auditor, balance in post office FD pledged with government amounting to Rs. 2,000/- will be taken care of in the upcoming year and necessary entry will be passed.</p>
<p>E. With reference to Note.13 Other Current Assets - Advances receivable in cash or kind, there is Claims recoverable amount of Rs. 79,600 which should be written off as they no longer carry any future economic benefits. Lack of any substantiated authenticity of the claim and uncertainty regarding collection would require for the claim to be derecognized.</p>	<p>This amount of Rs. 79,600/- are being carried in financial statement since FY 2017-18 as part of claim recoverable since past 20 to 25 years from different sources such as buffer stock claim, electricity charges, excise, FCI, Insurance, reconciliation etc. As on date company do not have the name of parties from whom the claim is recoverable. Company will make necessary entries as per the opinion of Auditor to adjust this figure in upcoming years</p>
<p>F. As per Note 12, FDRs pledged with Registrar General Hon'ble High Court and the pollution control board, no documentation was available. As per management response, the said pledged FDs are under the custody of respective parties and are duly renewed at their end, the management should requisite for an acknowledgement from the concerned parties regarding the same.</p>	<p>Management took note of this opinion and will make efforts in upcoming year.</p>
<p>G. As per accounting standards, an extra-ordinary item is any kind of abnormal loss or gain that is not generated from the regular business operations. Such types of events are infrequent in nature and are non-recurring. We draw attention to Note No. 23, subsidy received for cane price 2021-2022 of Rs. 3,538.82 lacs are not abnormal in nature as the company's been receiving government assistance for cane price payment in the previous year as well and therefore its treatment as extra-ordinary is inconsistent with the standards. The incorrect classification present's a skewed reflection of the company performance as such is normally excluded by investors in calculating P/E ratio.</p>	<p>With respect to Note No. 23, Management wants to highlight this fact that the subsidies received by the Company are having no time frame or surety hence due to its uncertainty we are treating subsidies as extra-ordinary item. We took note of the opinion given by Auditor and assure that steps will be taken after the observation given in the CAG Audit.</p>

<p>H. We draw attention to Note No. 3, the company received government assistance in name of loan for Rs Rs.300.00 Lacs, the classification though seems correct however on inquiry we were informed no repayment plan has been decided by the government under which such loan was advanced and therefore balance remains unchanged from previous years. The assistance was provided to meet operational expenses such as salary payments and as per AS 12, since the amount can be measured reliably and is provided for specific conditions (operational expenses) it should be treated as revenue grant and accordingly be derecognized as long-term debt and shown as a credit in Profit and Loss under prior period item if the uncertainty regarding repayment continue to exists.</p>	<p>With respect to Note No.-3 the company received government assistance in name of loan for Rs Rs.300.00 Lacs, it is being conveyed by the Management of the Company to the Auditor that there is no repayment plan has been decided by the government under which such loan was advanced and we are in constatnt touch with respective authority of the Uttarakhand Government and resolute that we will make best efforts after getting the direction from the Government.</p>
---	---

इसके अलावा वैधानिक सम्प्रेक्षक द्वारा प्रदान की गई अपनी रिपोर्ट में कोई भी उक्ति, संदेह, खंडन या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट :-

आपकी कम्पनी को प्रैक्टिस करने वाले कम्पनी सचिव से सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

सेक्रेटेरियल मानक :-

आपकी कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी तथा केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत सेक्रेटेरियल मानक -1(निदेशक मण्डल की बैठक) तथा सेक्रेटेरियल मानक -2 (साधारण बैठक) को दिनांक 01.07.2015 से अपनाया गया है। भारत के राजपत्र असाधारण भाग-3 खंड-4 में प्रकाशित केन्द्र सरकार और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान(आईसीएसआई) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 118(10) के प्रावधानों के तहत दिनांक 23.04.2015 की आई.सी.एस.आई. की अधिसूचना सं0 (एस.एस) के तहत जारी किया गया।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व :-

आज व्यवसायों के पास व्यवसाय के भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता के साथ हितधारकों का एक विस्तृत समूह- स्थानीय समुदाय, सामाजिक संगठन और सामान्य रूप से समाज है। हितधारकों की नैतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय अपेक्षाएं होती हैं जो वित्तीय लक्ष्यों और कानूनी अपेक्षाओं से परे होती हैं, जिनमें सामाजिक अनुबन्ध निहित होते हैं जिनका उद्यम को सम्मान करना चाहिए। हम मानते हैं कि सामाजिक नियम हितधारकों के विश्वास को पोषित करने और व्यापार निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

आपकी कम्पनी का मानना है कि कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यवसाय की प्रक्रियाओं में निर्णय को, पर्यावरण और आर्थिक विचारों के एकीकरण से संबंधित है। यह रचनात्मक और मूल्य वर्धित समाधान और सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियों को खोजने के लिए नवाचार का उपयोग करने के बारे में है। यह अंशधारकों और अन्य हितधारकों को शामिल करने और सम्भावित जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और समाज में विश्वास बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करने के बारे में है। अन्ततः, यह बेहतर अंशधारक मूल्य प्रदान करने, उन्नत सेवायें प्रदान करने, उस समाज में विश्वसनीयता बनाने के बारे में है जिसमें व्यवसाय संचालित होता है और लम्बी अवधि में अधिक टिकाऊ होता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रत्येक कम्पनी (जिसमें उसकी होल्डिंग या सहायक कम्पनी शामिल है) या एक विदेशी कम्पनी जो अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदण्डों को पूरा करती है वह धारा 135 के प्रावधानों और उसके नियमों का पालन करेगी।

चूँकि आपकी कम्पनी, कम्पनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट मानदण्डों के तहत आ रही है इसलिए आपके निदेशक मण्डल ने 23 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति को मंजूरी दी है और पूरे बोर्ड में सी0एस0आर0 समिति के कर्तव्यों और कार्यों को निहित किया है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 सितम्बर, 2020 के द्वारा सी0एस0आर0 नीति में सी0एस0आर0 समिति के किसी भी संदर्भ पर जब तक कि बोर्ड की कोई सी0एस0आर0 समिति नहीं बनाई जाती तब तक कम्पनी के पूरे निदेशक मण्डल द्वारा सी0एस0आर0 समिति के सारे कार्य वहन किये जायेंगे।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 से संबंधित 28 सितम्बर, 2020 की अपनी अधिसूचना द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निम्नलिखित उपधारा 9 को शामिल किया है –

"जहाँ एक कम्पनी द्वारा उपधारा 5 के तहत खर्च की जाने वाली राशि रू0 50 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ उपधारा 1 के तहत सी0एस0आर0 समिति के गठन के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इस समिति के सारे कार्य कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा वहन किये जायेंगे।"

आपकी कम्पनी उपर्युक्त मानदण्डों के अंतर्गत आती है इसलिए संपूर्ण निदेशक मण्डल सी0एस0आर0 गतिविधियों के विकास और कार्यान्वयन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करेगा।

आपकी कम्पनी द्वारा अपनायी गयी सी0एस0आर0 गतिविधियां कम्पनी अधिनियम, 2013 व नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसूची-VII के अनुसार बड़े पैमाने पर समुदाय के लाभ लिए चलाई गई हैं। आपकी कम्पनी की सी0एस0आर0 गतिविधियां इसके मिल क्षेत्र के आस-पास में केन्द्रित हैं, जिससे अधिकांश सी0एस0आर0 फंड स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने वाली गतिविधियों पर खर्च किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम्पनी को रू0 969.65 (हजार में) (वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 का औसत) का औसत हानि हुआ है। इसका मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सी0एस0आर0 में योगदान करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 135 के अनुसार सी0एस0आर0 की विस्तृत नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 में बनाई गई है जो कम्पनी की वेबसाइट <http://kichhasugar.com/OtherInfo> पर उपलब्ध है।

सी0एस0आर0 गतिविधियों पर एक वार्षिक रिपोर्ट इस प्रतिवेदन में संलग्नक-अ के रूप में संलग्न है।

स्वास्थ्य एवं सुरक्षा :-

प्रबंधन ने अपने सभी परिचालनों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों को एक प्रमुख व्यावसायिक अनिवार्यता के रूप में पहचाना है। स्वास्थ्य के दृष्टिगत महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, और स्वस्थ व खुशहाल तथा चोट-मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया।

सतर्कता तंत्र :-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) में दिये गये सतर्कता तंत्र के प्रावधान आपकी कम्पनी पर लागू होते हैं इसके आलावा बोर्ड ने 2 (दो) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति किए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष तक तंत्र को क्रियाशील करने लिए स्थगित कर दिया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली :-

कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कम्पनी की प्रकृति व आकार के अनुरूप पर्याप्त है तथा यह सुनिश्चित करता है कि—

- लागू लेखा मानकों के अनुसार समय पर सही वित्तीय रिपोर्टिंग हो रही है;
- संपत्ति की सुरक्षा और रखरखाव, कम से कम उपयोग और कुशल निगरानी में है;
- लागू कानूनों, नियमों और प्रबंधन नीतियों का अनुपालन हो रहा है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध :-

कम्पनी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

कम्पनी अपने व्यवसाय की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने हेतु अपनी मानव संसाधन नीतियों को और अधिक संरेखित करने लिए नई पहल करती रहती है। जिससे अपनी कम्पनी में लोगों का विकास एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्ययन :-

आपकी कम्पनी विनिर्माण गतिविधि में लगी हुई है, इसलिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अंतर्गत समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा किये गये ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा के आय एवं व्यय के संबंध में प्रदान की जाने वाली आवश्यक जानकारी कम्पनी की प्रकृति के अनुसार प्रस्तुत की गयी है। ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा के संबंध में इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-ब प्रस्तुत है।

नकदी तरलता :-

आपकी कम्पनी रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी रखती है। हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि स्थिति-पत्रक में तरलता, पर्याप्त रिटर्न अर्जित करने और वित्तीय एवं व्यवसायिक जोखिमों को कवर करने के लिए आवश्यक है। तरलता आपकी कम्पनी को बाजार में गतिशीलता के अनुरूप खुद को त्वरित प्रक्रिया के लिए सक्षम बनाती है।

निगमित शासन प्रणाली :-

कम्पनी एक अच्छे शासन प्रणाली अनुसरण करती आ रही है जो संगठन में विभिन्न हितधारकों के बीच अधिकारों व जिम्मेदारियों के वितरण को निर्दिष्ट करने साथ कॉर्पोरेट मामलों में निर्णय लेने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करती है। यह संरचना संगठन के हितधारकों के हितों के संरक्षण के साथ-साथ अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है।

आपकी कम्पनी का कॉर्पोरेट प्रशासन इस विश्वास से उपजा है कि कम्पनी की व्यवसायिक रणनीति, योजनायें एवं निर्णय अंशधारकों सहित इसके सभी हितधारकों के कल्याण के अनुरूप होने चाहिए। अच्छी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथायें एक कम्पनी को वित्तीय और मानवीय पूँजी को आकर्षित करने और दीर्घकालिक अंशधारक मूल्य को अधिकतम करने के साथ बड़े पैमाने पर समाज के विभिन्न हितधारकों के हितों को संरक्षित करने में सक्षम बनाती है।

कम्पनी ने प्रतिष्ठित पेशेवरों के सन्तुलित मिश्रण के साथ बोर्ड का गठन करके पूरे संगठन में सक्षम पेशेवरों को शामिल करके और उपयुक्त प्रणाली, प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी को स्थापित करके कॉर्पोरेट प्रशासन को जीवन का एक तरीका बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व की घोषणा :-

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अन्तर्गत कम्पनी के निदेशक घोषणा करते हैं कि:-

- (i) दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों को तैयार करने में मान्य लेखा मानकों को अपनाया गया है तथा महत्वपूर्ण बदलाव के लिए उचित स्पष्टीकरण दिये गये हैं।
 - (ii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के कार्य कलापों, स्थिति तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लाभ एवं हानि की वास्तविक एवं सत्य स्थिति को दर्शाने के लिए निदेशकों द्वारा उचित एवं मान्य नियमों का चुनाव किया गया है, उन्हें निरन्तर लागू किया गया है तथा उचित एवं मान्य अनुमान/निर्णय लगाये/लिये गये हैं।
- (iii) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की संरक्षा, जालसाजी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा उन्हें रोकने हेतु इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत लेखा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु निर्देशकों द्वारा उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है।
- (iv) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे 'Going Concern' के आधार पर तैयार किये गये हैं।

- (v) निदेशकों द्वारा लागू सभी कानूनों का अनुपालन और ऐसी प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है जो उचित एवं प्रभावी ढंग से काम कर रही है।

आभार प्रदर्शन :-

आपका निदेशक मण्डल इस अवसर पर समस्त कर्मचारियों द्वारा कार्य के प्रति समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा करते हैं। निदेशक मण्डल अपने लेखा परीक्षक, सलाहकार और व्यवसायिक भागीदारों द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं के लिए आभार व्यक्त करती है। आपके निदेशक केन्द्र व राज्य सरकार, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, निवेशकों, सेवा प्रदाता एजेंसियों, सरकारी प्राधिकारियों सहित समस्त हितधारकों जिन्होंने कम्पनी में अपने विश्वास के साथ कम्पनी के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, का आभार व्यक्त करते हैं।

स्थान : देहरादून
दिनांक : 29.09.2023

**कृते निदेशक मण्डल
किच्छा शुगर कम्पनी लि०**

हस्ता./-
त्रिलोक सिंह मर्तोल्या
(अधिशायी निदेशक)
DIN:- 09311718

हस्ता./-
विजय कुमार यादव
(अध्यक्ष)
DIN:- 09462188



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

To
The Members of the Kichha Sugar Company Limited
Report on the Audit of Standalone Financial Statements

(Qualified Opinion) योग्य राय

हमने किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2023 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण, वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण शामिल है। समाप्त हो गया, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) का सारांश सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देता है और सही और सही जानकारी देता है। 31 मार्च 2023 को कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृश्य।

Basis of Qualified Opinion योग्य राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारी को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अनुभाग के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं।

अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकता के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Material Uncertainty Related to Going Concern

चल रही चिंता से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

हम लाभ और हानि के विवरण में नोट 23 असाधारण वस्तुओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसके पहले 2021-2022 और 2022-2023 के लगातार दो वर्षों के लिए रिपोर्ट की गई हानि 39.96 करोड़ और 50.68 करोड़ है। परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता के बिना लाभ उत्पन्न करने की कंपनी की क्षमता की कमी चल रही चिंता की धारणा के संबंध में भौतिक अनिश्चितता का संकेत है। कंपनी ने अपनी निवल संपत्ति को भी कम कर दिया है, बकाया ऋण ब्याज और डिफॉल्ट ऋणों के मूलधन के पुनर्भुगतान के साथ लगातार घाटे ने कंपनी के लिए चिंता की धारणा को खतरे में डाल दिया है।

कुछ वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचों में प्रबंधन के लिए इकाई की चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता का एक विशिष्ट मूल्यांकन करने की स्पष्ट आवश्यकता होती है, और चालू संस्था के संबंध में विचार किए जाने वाले मामलों और किए जाने वाले खुलासे के संबंध में मानक होते हैं। प्रबंधन द्वारा अभी तक ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है और सलाह दी जाती है कि गोंडिंग कंसर्न धारणा के संबंध में सामग्री अनिश्चितता का स्पष्ट मूल्यांकन किया जाए।

प्रबंधन ने मौजूदा चिंता के बारे में किसी भी भौतिक अनिश्चितता के संबंध में कोई आवश्यक और पर्याप्त खुलासा नहीं किया है, जिसके कारण हमारी ऑडिट रिपोर्ट को एक योग्य राय पेश करनी पड़ी।

Key Audit Matters प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख ऑडिट मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा और उस पर हमारी राय को सूचित करने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

1. हम वित्तीय स्थिति के विवरण के नोट 6 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए कई ऋणों पर चूक की है, जिसकी कुल राशि रुपये का दीर्घकालिक ऋण बकाया है। 1,16,31,69,323 जिस पर वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 18,35,09,415.64 रुपये है। 31.03.2023 तक अर्जित कुल ब्याज रुपये के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है। 2,23,79,29,561.64. जहां अर्जित ब्याज राशि मूल ऋण राशि से कहीं अधिक हो गई है, वहां डिफॉल्ट ऋण पर अतिरिक्त ब्याज वसूला जा रहा है, जहां ब्याज की पुनर्भुगतान के संबंध में अनिश्चितता है, हम सलाह देते हैं कि इसके बजाय कोई और ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए या प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। खातों के नोट्स में उस भौतिक अनिश्चितता को उजागर करते हुए उचित रूप से खुलासा किया जाना चाहिए जो ब्याज देय होने की स्थिति में चालू चिंता की धारणा पर उत्पन्न होती है और साथ ही इसके संबंध में संभावित सरकारी कार्रवाई भी की जाती है।

2. राज्य सरकार से प्राप्त डिफॉल्ट ऋणों को अन्य वर्तमान देनदारियों- दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इस तरह के उपचार के संबंध में प्रबंधन का जवाब था कि ऐसे ऋणों के लिए सरकार की कार्रवाई के बारे में स्पष्टता की कमी के कारण इस तरह के वर्गीकरण का पालन किया गया था। यह एक विषम सीए अनुपात प्रस्तुत करता है क्योंकि संपूर्ण डिफॉल्ट ऋण राशि अन्य मौजूदा देनदारियों के तहत प्रस्तुत की जाती है। चूंकि ऋण का निपटान



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

अगले 12 महीनों में होने की उम्मीद नहीं है, इसलिए वर्तमान देनदारी के रूप में इसका वर्गीकरण वैचारिक लेखांकन ढांचे के साथ असंगत है।

3. नए निर्देशों के अनुसार, एमएसएमई को 45 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया भुगतान अगले वर्ष में अस्वीकार कर दिया जाएगा और बकाया राशि का 18% प्रदान किया जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान हमें एमएसएमई से संबंधित सामग्री और आपूर्ति के लिए 5,63,552.4 रुपये के लेनदारों के बारे में पता चला, जिसके लिए रुपये का प्रावधान किया जाना चाहिए। 1,01,439.43. कृपया अनुबंध 1 देखें

4. एक एनएससी रुपये के लिए सरकार के पास गिरवी रखी गई। 2000/- पर कोई ब्याज आय अर्जित नहीं होती है, इसके संबंध में प्रबंधन की प्रतिक्रिया यह थी कि गिरवी रखी गई एनएससी को सरकार ने जब्त कर लिया है, प्रबंधन के पास इसके उपचार के बारे में स्पष्टता का अभाव है और इसलिए प्रबंधन को सुझाए गए अनुशंसित उपचार एनएससी को बड़े खाते में डालना है। वित्तीय विवरणों से क्योंकि यह सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता है।

5. नोट.13 के संदर्भ में अन्य चालू परिसंपत्तियां - नकद या वस्तु के रूप में प्राप्य अग्रिम, रुपये की वसूली योग्य दावा राशि है। 79,600 जिसे माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं है

भविष्य में आर्थिक लाभ. दावे की किसी भी प्रमाणित प्रामाणिकता की कमी और संग्रह के संबंध में अनिश्चितता के लिए दावे की मान्यता रद्द करना आवश्यक होगा।

6. नोट 12 के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास गिरवी रखी गई एफडीआर का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं था। प्रबंधन की प्रतिक्रिया के अनुसार, उक्त गिरवी रखी गई एफडी संबंधित पक्षों के संरक्षण में हैं और उनकी ओर से विधिवत नवीनीकृत की जाती हैं, प्रबंधन को इसके संबंध में संबंधित पक्षों से पावती की आवश्यकता होनी चाहिए।

7. लेखांकन मानकों के अनुसार, एक असाधारण वस्तु किसी भी प्रकार की असामान्य हानि या लाभ है जो नियमित व्यावसायिक संचालन से उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार की घटनाएँ प्रकृति में दुर्लभ और अनावर्ती होती हैं। हम नोट संख्या 23 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, गन्ना मूल्य 2021-2022 के लिए प्राप्त सब्सिडी रु। 3,538.82 लाख की राशि असामान्य प्रकृति की नहीं है क्योंकि कंपनी को पिछले वर्ष भी गन्ना मूल्य भुगतान के लिए सरकारी सहायता प्राप्त हो रही थी और इसलिए इसे असाधारण माना जाना मानकों के अनुरूप नहीं है। गलत वर्गीकरण कंपनी के प्रदर्शन का एक विषम प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, जिसे आम तौर पर निवेशकों द्वारा पी/ई अनुपात की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।

8. हम नोट संख्या 3 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, कंपनी को 300.00 लाख रुपये के ऋण के नाम पर सरकारी सहायता प्राप्त हुई, वर्गीकरण हालांकि सही लगता है, हालांकि पूछताछ करने पर हमें बताया गया कि सरकार द्वारा कोई पुनर्भुगतान योजना तय नहीं की गई है जिसके तहत ऐसा ऋण अग्रिम दिया गया था और इसलिए शेष पिछले वर्षों से अपरिवर्तित है। वेतन भुगतान जैसे परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की गई थी और एएस 12 के अनुसार, चूंकि राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और विशिष्ट स्थितियों (परिचालन व्यय) के लिए प्रदान किया जाता है, इसे राजस्व अनुदान के रूप में माना जाना चाहिए और तदनुसार दीर्घकालिक के रूप में मान्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। यदि पुनर्भुगतान के संबंध में अनिश्चितता बनी रहती है तो ऋण को पूर्व अवधि मद के तहत लाभ और हानि में क्रेडिट के रूप में दिखाया जाता है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Information Other than the Standalone Financial Statement and Auditor's Report Thereon
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट में संलग्नक सहित शामिल जानकारी शामिल है।

निदेशकों की रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट और शेयरधारकों की जानकारी, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि उपरोक्त रिपोर्ट इस ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा के साथ भौतिक रूप से असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भौतिक रूप से ग़लत ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

जब हम कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण ग़लत विवरण है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को इस मामले के बारे में सूचित करना आवश्यक है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करेंगे।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

**Responsibility of Management and Those Charged with Governance for the
Standalone financial Statements**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय लेना और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, जो सही और निष्पक्ष दृश्य दिया गया है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन करने, लागू होने वाली चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन इसे समाप्त करने का इरादा न रखता हो। कंपनी या तो परिचालन बंद कर दे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Auditor's responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत विवरण से मुक्त है, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उम्मीद की जा सकती है।

एसएस के अनुसार ऑडिट के एक भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं।

• हम भी:

वित्तीय विवरण के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले जोखिम से अधिक होता है धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादे की चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

• ऑडिट प्रक्रियाओं से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

• उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

• लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या कोई सामग्री अनिश्चितता घटनाओं या स्थितियों से संबंधित है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण गलत विवरण मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

• प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटना का इस तरह से प्रतिनिधित्व करता है जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की भयावहता है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हमने अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद किया, जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जिन पर शासन का आरोप है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में सूचित किया है जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर असर डालने वाले हो सकते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हमने अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में उन मामलों का वर्णन किया है जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम उचित रूप से अपेक्षित होंगे। ऐसे संचार के जनहित लाभ कहीं अधिक हैं।

Report on other Legal and regulatory requirements

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(ए) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

(बी) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं;

(सी) इस रिपोर्ट से संबंधित स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और कैश फ्लो का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट खाते की किताबों से सहमत है;

(डी) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट एएस का अनुपालन करते हैं;



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(ई) 31 मार्च, 2023 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल ने रिकॉर्ड पर लिया है, 31 मार्च, 2023 तक कोई भी निदेशक निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है। अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तें;

(एफ) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में

नियंत्रण, "अनुलग्नक ए" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है;

(जी) संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में:

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को चालू वर्ष के दौरान भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है। किसी भी निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 197(16) के तहत अन्य विवरण निर्धारित नहीं किए हैं जिन पर हमारे द्वारा टिप्पणी की जानी आवश्यक है।

(ज) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम: मैं। कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2023 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के लिए नोट - 39 देखें;द्वितीय. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो;

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

iv. (ए) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कोई भी धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को, जिसमें विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") भी शामिल है, कंपनी द्वारा इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा। कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करना;

(बी) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी इकाई सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धनराशि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) प्राप्त नहीं हुई है ("फंडिंग") पार्टियाँ), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही चीज़ प्रदान करना;



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(सी) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन), जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत दिया गया है, इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत बयान शामिल है।

v. वर्ष के दौरान और इस ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है।

2. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम "अनुलग्नक बी" में एक विवरण देते हैं। आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामले, लागू सीमा तक।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Annexure "A" to the Independent Auditor's Report on the Standalone Financial Statement of the Kichha Sugar Mill limited for the year ended March 31, 2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए किच्छा चीनी मिल लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 (एफ) में संदर्भित)

Opinion राय

हमने 31 मार्च, 2023 तक किच्छा शुगर मिल्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट भी किया है।

हमारी राय में, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर, ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2023 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में कहा गया है।

कंपनी के लिए आंतरिक ऑडिट लागू था और वित्त वर्ष 22-23 के लिए नियुक्त ऑडिटर दिशा शर्मा एंड एसोसिएट्स हैं। आंतरिक ऑडिट कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप होता है और अक्सर आयोजित किया जाता है।

Managements Responsibility for Internal Financial Controls

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल हैं जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

थे। , लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक है।

Auditors Responsibility लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मार्गदर्शन नोट और ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार किया, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होता है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी से उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ ऑडिटर के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के गलत विवरण के जोखिम का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

Meaning of Internal Financial Controls with reference to standalone Financial Statements स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं। ;



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with references to Standalone Financial Statements
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को ओवरराइड करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भी विषय हैं

इस जोखिम के कारण कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Annexure "B" to the Independent Auditors Report
स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक "बी"।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर किच्छा शुगर मिल्स लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और ऑडिट के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई खाता पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए नहीं रखे हैं। कोई अचल संपत्ति रजिस्टर नहीं रखा गया है और उपकरणों को ठीक से टैग और गिना नहीं गया है।

(बी) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों में कोई अमूर्त संपत्ति का खुलासा नहीं किया गया है बी। हमें यह सत्यापित करने के लिए कोई सबूत या रिपोर्ट नहीं दी गई है कि क्या इन संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, किसी भी रिपोर्ट के अभाव में हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि क्या ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां देखी गईं और यदि हां तो क्या यह हिसाब-किताबों से संबंधित है।

(सी) हमें प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है। वित्तीय विवरणों के अनुसार, इन लीज होल्ड भूमि पर स्व-निर्मित इमारतें हैं, जहां कंपनी पट्टेदार है और लीज समझौतों को कंपनी के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है, और जैसा कि हमें बताया गया है, इनके लिए कोई शीर्षक विलेख आवश्यक नहीं है। स्वयं निर्मित इमारतें.

(डी) हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(इ) प्रबंधन ने पुष्टि की है कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। वहाँ के नीचे.

ii) ए. वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के आकार और उसके संचालन की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। खाते की पुस्तकों के साथ तुलना करने पर इन्वेंट्री के ऐसे भौतिक सत्यापन पर प्रत्येक श्रेणी की इन्वेंट्री के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

बी। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर, बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दायर किए गए स्टॉक स्टेटमेंट और बुक डेट स्टेटमेंट वाले त्रैमासिक विवरण संबंधित तिमाहियों के कंपनी के अनऑडिटेड अकाउंट बुक के साथ मेल खाते हैं और नहीं भौतिक विसंगतियां देखी गई हैं।

iii) हमें प्रदान की गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य में कोई निवेश नहीं किया है और गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। वर्ष के दौरान पार्टियाँ।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने ऋण देने, निवेश करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। और जैसा लागू हो, गारंटी और प्रतिभूतियाँ प्रदान करना।

v) हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और व्याख्याओं के अनुसार कंपनी ने उस वर्ष के दौरान किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जमा माना जाता है, जहां निर्देश जारी किया गया था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान या कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू थे।

vi) हमारी परीक्षण जांच के अनुसार और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 1480 की धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन किया है।

vii) (ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी परीक्षण जांच के अनुसार, कंपनी माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि जमा करने में, कभी-कभार कुछ मामूली देरी को छोड़कर, आम तौर पर नियमित होती है। बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया। हालाँकि, हमारी जांच के अनुसार टीडीएस पर ब्याज की बकाया मांग रुपये है, जो देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया है।

(बी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि का बकाया है जो विवादों के कारण वर्ष के अंत तक जमा नहीं किया गया है। इसका विवरण अनुबंध 'सी' के माध्यम से संलग्न है।

viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि प्रबंधन द्वारा पुष्टि की गई है, पहले से दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया था। वर्ष।

ix) ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है। हालाँकि, जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने पिछले वर्षों में उत्तराखंड सरकार के ऋण भुगतान में चूक की है, विवरण इसके साथ संलग्न अनुबंध डी के अनुसार है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

बी। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

सी। हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों के लिए लागू किए गए थे जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

डी। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का, प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया है।

इ। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने शेयर जारी करने या उधार लेने के माध्यम से जुटाए गए धन से वर्ष की शुरुआत में अप्रयुक्त धन का उपयोग नहीं किया है। पिछले वर्ष अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए। कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

एफ। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर ऋण नहीं उठाया है।

ए. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

बी। चूंकि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई धन नहीं जुटाया है, इसलिए यह खंड कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xi) ए. हमारी सर्वोत्तम जानकारी और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी -4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है। इस रिपोर्ट का वर्ष और तारीख तक।

सी। जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, का अनुपालन करती है और वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है। आदि, जैसा कि लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित है।

xiv) कंपनी के लिए आंतरिक ऑडिट लागू था और FY22-23 के लिए नियुक्त ऑडिटर दिशा शर्मा एंड एसोसिएट्स हैं। आंतरिक ऑडिट कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप है और अक्सर आयोजित किया जा रहा है।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi) ए. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi) (ए), (बी), और (सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

बी। समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है और तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (डी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvii) कंपनी को कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। तदनुसार आदेश के खंड

(xiii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल के हमारे ज्ञान के आधार पर और प्रबंधन की योजनाएँ और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि

ऑडिट रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे गिरती हैं।

बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर



MANOJ VATSAL & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी जब भी उनका बकाया हो।

xx) (ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के पास समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष का;

(बी) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के तहत किसी भी चल रही परियोजना के तहत कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है, प्रावधान के अनुपालन में विशेष खाते में स्थानांतरित कर दी गई है। उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6);

xxi) समेकित वित्तीय विवरण इस कंपनी पर लागू नहीं है; इसलिए इस खंड पर टिप्पणी नहीं की जा रही है।

मनोज वत्सल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड
CIN: U15421UR1972SGC003513

Sd/-
मनोज जोशी
सीनियर पार्टनर,
एम.एन.025757
UDIN: 23025757BGPYJQ6884

दिनांक: 25 सितंबर 2023
स्थान: हलद्वानी

Sd/-
(एस.के. पांडे)
सीएफओ।
पैन: AUSPP4490R

Sd/-
(हर्ष तिवारी)
कंपनी सचिव
पैन: ARHPT5411A

Sd/-
(त्रिलोक सिंह मर्तोलिया)
कार्यकारी निदेशक
DIN:09311718

Sd/-
(विजयकुमार यादव)
अध्यक्ष
DIN:09462188

PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT),
UTTARAKHAND



लोकहितार्थं सत्यमिच्छतः
Dedicated to Truth in Public Interest

Ltr No: AMG-II/2023-2024/DIS-1457679
Date: 24 Jan 2024

To.

अधिशाली निदेशक,
किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड,
उधम सिंह नगर।

Subject: किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, उधम सिंह नगर के 2022-23 के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका टिप्पणियों के सम्बन्ध में : PR-83667

Sir/Madam,

एतत्सह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड, उधम सिंह नगर के 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों पर, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियां, उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में प्रेषित की जा रही है। कृपया कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष इन टीका टिप्पणियों के प्रस्तुत किए जाने की वास्तविक तिथि की सूचना देने का कष्ट करें।

कृपया पावती भेजें।

Yours faithfully,

Encls: As above

PRAVINDRA YADAV
Principal Accountant General



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF KICHHA SUGAR COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of Kichha Sugar Company Limited for the year ended 31 March 2023 in accordance with financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 September 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of financial statements of Kichha Sugar Company Limited for the year ended 31 March 2023 under Section 143 (6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6) (b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

Balance Sheet

1. Current Liabilities

Short Term Provisions (Note-7): ₹ 8.04 crore

The above does not include ₹ 1.32 crore being the amount of guarantee fee payable to the Government of Uttarakhand (GoU) for Guarantee issued for Cash Credit Limit availed by the Company. The GoU had guaranteed Cash Credit Limit of ₹ 235.50 crore (₹ 119.50 crore for the year 2021-22 and ₹ 116.00 crore for the year 2022-23) for which the Company is required to pay Guarantee fee of ₹ 2.36 crore (@ one per cent of CC limit) to the GoU. However, the Company had made provision of guarantee fee payable to GoU of ₹ 1.04 crore only.

This resulted in understatement of Short Term Provisions (provision of guarantee fee) as well as Loss by ₹ 1.32 crore each.

Similar comment was also issued on the accounts of 2021-22, however, no corrective action has been taken by the Company.

2. Assets

Current Assets

Cash & Cash Equivalent (Notes-12): ₹ 25.82 crore

The above includes ₹ 29.84 lakh being the interest accrued but not received during the year. As the amount was credited by the bank in next FY 2023-24, it should have been shown under the head Other Current Assets. Therefore, showing the amount under the head Cash & Cash Equivalent is not in order.

This has resulted in overstatement of Cash and Cash Equivalents and understatement of Other Current Assets by ₹ 29.84 lakh.

3. Assets

Current Assets

Other Current Liabilities (Note-6) ₹ 351.16 crore

The above does not include ₹ 18.93 lakh being the amount of additional security demand raised by the Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL) for the FY 2022-23. The Company has neither paid the additional security nor accounted for the liability in the books of accounts.

This has resulted in understatement of Other Current Liabilities as well as Other Current Assets by ₹ 18.93 lakh.

**For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

Place: Dehradun

Date: 23/01/2024

-sd-

**(PRAVINDRA YADAV)
Principal Accountant General (Audit)
Uttarakhand**

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का स्थिति पत्रक

क्र०सं०	विवरण	टिप्पणियां	31-03-2023	31/03/2022
			(राशि लाख रु० में)	
I.	साम्य अंश एवं दायित्व			
(1)	अंशधारकों की निधि			
	(अ) अंश पूँजी	1	1,798.64	1,798.64
	(ब) संचितियां एवं आधिक्य			
	(1) अन्य संचितियां			
	शीरा संचय सुविधा स्कन्ध निधि	2	18.63	17.71
	(2) लाभ-हानि खाता	2.1	(30,770.82)	(29,439.67)
(2)	प्राप्त अंश आवेदन धनराशि विलम्बित आवंटन		-	-
(3)	गैर चालू दायित्व			
	अ- लम्बी अवधि के ऋण	3	300.00	300.00
(4)	चालू दायित्व :			
	अ- अल्प अवधि के ऋण	4	3,040.96	1,805.91
	ब- व्यापारिक देय	5	6,681.47	6,256.21
	स- अन्य चालू दायित्व	6	35,116.34	33,210.34
	द- अल्प अवधि हेतु प्राविधान	7	803.68	1,341.43
	योग- अंशपूँजी एवं दायित्व		16,988.90	15,290.57
II.	सम्पत्तियां		रु०	रु०
(अ)	सम्पत्ति, प्लांट और उपकरण	8		
	(i) मूर्त सम्पत्तियां		334.60	298.29
	(ii) अमूर्त सम्पत्तियां			
	(iii) कार्यशील पूँजी			
	(iv) विकास के अधीन अमूर्त सम्पत्ति			
(ब)	गैर चालू विनियोग	9	0.02	0.02
(2)	चालू परिसम्पत्तियां			
	(अ) सामग्री	10	13,092.12	12515.33
	(ब) व्यवसायिक प्राप्तियां	11	85.74	52.91
	(स) नकद एवं नकद के बराबर	12	2,582.89	1853.39
	(द) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	-	-	-
	(य) अन्य चालू सम्पत्तियां	13	893.53	570.63
	कुल सम्पत्तियां		16,988.90	15290.57

लेखाओं की निर्धारित पद्धति एवं टिप्पणियां

24

टिप्पणी:- संलग्न टिप्पणी स्थिति पत्रक का अंश है।

कृते मनोज वत्सल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,

कृते किच्छा शुगर कम्पनी लि
CIN : U15421UR1972SGC003513

हस्ता./- हस्ता./-
मनोज वत्सल एस.के.पाण्डेय
भागीदार मुख्य वित्तीय अधि०
मेम्बरशिप नं० 025757 PAN- AUSPP4490R
फर्म रजि० नं० 010155C
UDIN- 230257578GPYJQ6884
स्थान- हल्द्वानी दि० 29.09.2023

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
हर्ष तिवारी त्रिलोक सिंह मर्तोलिया विजय कुमार यादव
कम्पनी सचिव अधिशासी निदेशक अध्यक्ष
PAN- ARHPT5411A DIN 09311718 DIN 09462188
स्थान: देहरादून
दि० 29.09.2023

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ हानि विवरण

क्र०सं०	विवरण	टिप्पणियां	31-03-2023	31-03-2022
			(राशि लाख रू० में)	
I	संचालन से आय	14	16435.34	20740.19
II	अन्य आय	15	640.06	1444.03
III	कुल आय (I+II)		17075.40	22184.22
IV	व्यय :			
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	16	16526.61	16099.08
	तैयार माल तथा प्रक्रिया में माल की परिवर्तन लागत	17	-606.46	3628.43
	कर्मचारियों के लाभ हेतु व्यय	18	2958.00	3108.60
	वित्तीय लागत	19	2015.06	2169.79
	ह्रास एवं परिशोधन व्यय	20	34.32	36.21
	अन्य व्यय	21	1219.50	1139.07
	कुल व्यय (IV)		22147.03	26181.18
V	विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि)		-5071.63	(3996.96)
VI	विशिष्ट सामग्री-शुद्ध व्यय	22	100.69	1.50
VII	अति विशिष्ट आइटम तथा कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)		-4970.94	(3998.46)
VIII	अति विशिष्ट आइटम	23	3639.79	6024.84
IX	लाभ- कर से पूर्व (VII-VIII)		-1331.15	2026.38
X	कर व्यय :			
	(1) चालू कर		-	-
	(2) गतवर्ष के कर का समायोजन		-	-
	(3) विलम्बित किये गये कर		-	-
	(4) मैट क्रेडिट		-	-
XI	संचालन अवधि से निरन्तर लाभ/हानि (IX-X)		-1331.15	2026.38
XII	प्रति साम्य अंश आय			
	(1) बेसिक		-74.00	113.00

लेखाओं की निर्धारित पद्धति एवं टिप्पणियां 24
उपरोक्त संदर्भित अनुसूची एवं संलग्न टिप्पणियां, लाभ-हानि खाते का महत्वपूर्ण अंश है।

कृते मनोज वत्सल एंड कम्पनी
चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स,

हस्ता./- हस्ता./-
मनोज वत्सल एस.के.पाण्डेय
भागीदार मुख्य वित्तीय अधि०
मेम्बरशिप नं० 025757 PAN- AUSPP4490R
फर्म रजि० नं० 010155C
UDIN- 230257578GPYJQ6884
स्थान- हल्द्वानी दि० 29.09.2023

कृते किच्छा शुगर कम्पनी लि
CIN : U15421UR1972SGC003513

हस्ता./- हस्ता./- हस्ता./-
हर्ष तिवारी त्रिलोक सिंह मर्तोलिया विजय कुमार यादव
कम्पनी सचिव अधिशासी निदेशक अध्यक्ष
PAN-ARHPT5411A DIN 09311718 DIN 09462188
स्थान: देहरादून
दि० 29.09.2023

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)

कम्पनी पंजीकरण सं० U15421UR1972SGC003513

31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(धनराशि लाख रु० में)

क्र०सं०	विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वर्ष हेतु		31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	
अ-	परिचालन गतिविधि से नकद प्रवाह				
	लाभ-हानि खाते के विवरण के अनुसार कर पूर्व शुद्ध लाभ		(4970.94)		(3,998.46)
	गैर नकद लागतों के लिए समायोजित :				
	उत्तराखण्ड सरकार से लिये गये ऋण पर ब्याज	1,835.10		1,835.09	
	हास	34.32		36.21	
	पूर्व वर्ष की ग्रेच्युटी का अधिक प्राविधान	-		-	
	शीरा भंडारण संवय	0.92		0.76	
	शासकीय गारन्टी फीस के लिए प्राक्धान	(83.85)		86.63	
	ग्रेच्युटी प्रीमियम के लिए प्राविधान	179.66		193.19	
	कारखाना अधिकारियों के लिए प्राविधान	-		47.49	
	सोसायटी एवं काउंसिल कमीशन के लिए प्राविधान	-	1,966.15	-	
	विक्रय कमीशन व क्षति के लिए अल्पकालिक प्राविधान				
	प्राप्तियों एवं वापस लिखे गये के लिए प्राविधान	-		-	2,199.37
	कार्यशील पूँजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		(3,004.79)		(1799.09)
	तैयार माल व प्रगतिशील निर्माणाधीन व फुटकर पुर्जे में वृद्धि	(576.79)		3,601.02	
	व्यापार प्राप्तियों में वृद्धि	(32.83)		(9.73)	
	अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि	(322.90)		(226.91)	
	अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि	70.90		(225.30)	
	विक्रय देनदारियों में कमी	425.26		954.47	
	ग्रेच्युटी, सोसायटी एवं काउंसिल कमीशन, अधिकारियों के वकाये के अल्पकालीन प्राविधान में कमी।	(633.56)	(1,069.92)	109.01	4,202.56
	कर से पूर्व परिचालन द्वारा लाभ		(4,074.71)		2,403.47
	जमा किया गया कर				
	परिचालन गतिविधि से शुद्ध नकद प्रवाह		(4,074.71)		2,403.47
ब-	निवेश की गतिविधि से नकद प्रवाह				
	अचल सम्पत्तियों का (क्रय)/विक्रय		(70.63)		(3.34)
स-	वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
	गन्ना मूल्य के लिए उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त सब्सिडी	3,538.82		6,024.84	
	वेतन एवं रिटैनिंग एलाउन्स के भुगतान के लिए उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त ऋण	100.97		-	
	नकद ऋण सीमा में वृद्धि	1,235.05		(7279.37)	
	ऊधम सिंह नगर डि० को० बैंक को ऋण का पुनर्भुगतान	-	4,874.84	-	(1254.53)
	नकद और नकद के समतुल्य में शुद्ध कमी		729.50		1,145.60
	नकद और नकद के समतुल्य प्रारम्भिक रहतियां		1,853.39		707.79
	नकद और नकद के समतुल्य वर्ष की समाप्ति पर रहतियां		2,582.89		1,853.39
	निधारित लेखा पद्धति एवं लेखाओं की टिप्पणी	24	0		0

कृते मनोज वत्सल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,

हस्ता./- मनोज वत्सल
भागिदार
मैम्बरशिप नं० 025757
फर्म रजि० नं० 010155C
UDIN- 230257578GPYJQ6884
स्थान- हल्द्वानी दि० 29.09.2023

कृते किच्छा शुगर कम्पनी लि०
CIN : U15421UR1972SGC003513

हस्ता./- हर्ष तिवारी
कम्पनी सचिव
PAN-ARHPT5411A
स्थान- देहरादून दि० 29.09.2023

हस्ता./- त्रिलोक सिंह मर्तोल्या
अधिशासी निदेशक
DIN 09311718

हस्ता./- विजय कुमार यादव
अध्यक्ष
DIN 09462188

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा

CIN : U15421UR1972SGC003513

Note No. 8.1

Schedule of Depreciation on Property, Plant & Equipment as Companies Act, 2013 for the year ended on 31.03.2023

सम्पत्ति का नाम	कुल मूल्य (रु० में)				हास मूल्य (रु० में)							शुद्ध मूल्य (रु० में)	
	1.4.2022 को लागत मूल्य रु०	लगाये गये रु०	विक्रय/समा-योजन रु०	योग 31.3.2023 को	दिनांक 1.4.2022 को	ओ. बैलेन्स	लगाये गये रु०	हटाये गये/समायोजन	वर्ष हेतु हास	31.03.2023 को	सुरक्षित आय सहित समायोजन	31.03.2023 को रु०	31.03.2022 को रु०
भूमि (लीज पर)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कारखाना भवन	31188780.00	0.00	0.00	31188780.00	24549638.00	623746.00	0.00	0.00	623746.00	25173384.00	0.00	6015396.00	6639142.00
गैर कारखाना भवन	10880588.00	1163313.00	0.00	12043901.00	10126208.00	83904.00	39375.00	0.00	123279.00	10249487.00	0.00	1794414.00	754380.00
संयंत्र तथा मशीनरी	235694699.00	2666800.00	0.00	238361499.00	216012124.00	1714492.00	207325.00	0.00	1921817.00	217933941.00	0.00	20427558.00	19682575.00
विद्युत उपकरण एवं पंखे	1586967.00	33700.00	0.00	1620667.00	1331358.00	53393.00	3539.00	0.00	56932.00	1388290.00	0.00	232377.00	255609.00
उपस्कर तथा अन्योक्तियां	989901.00	153318.00	0.00	1143219.00	806476.00	39472.00	20560.00	0.00	60032.00	866508.00	0.00	276711.00	183425.00
कार्यालय उपकरण	1307229.00	56640.00	0.00	1363869.00	1241207.00	610.00	14688.00	0.00	15298.00	1256505.00	0.00	107364.00	66022.00
कारखाना उपकरण	993187.00	0.00	0.00	993187.00	879684.00	24039.00	0.00	0.00	24039.00	903723.00	0.00	89464.00	113503.00
तुलन यन्त्र	6464035.00	0.00	0.00	6464035.00	5475667.00	138714.00	0.00	0.00	138714.00	5614381.00	0.00	849654.00	988368.00
मोटर गाड़ी तथा वाहन	4023374.00	760991.00	0.00	4784365.00	3665499.00	69671.00	224666.00	0.00	294337.00	3959836.00	0.00	824529.00	357875.00
नलकूप	5458448.00	0.00	0.00	5458448.00	5185526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5185526.00	0.00	272922.00	272922.00
रोड	1210369.00	2008164.00	0.00	3218533.00	1054564.00	40428.00	11394.00	0.00	51822.00	1106386.00	0.00	2112147.00	155805.00
प्रयोगशाला उपकरण	1258910.00	0.00	0.00	1258910.00	1195965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1195965.00	0.00	62945.00	62945.00
कम्प्यूटर्स	3989537.00	219480.00	0.00	4209017.00	3693000.00	68482.00	53235.00	0.00	121717.00	3814717.00	0.00	394300.00	296537.00
बायो पेस्टीसाइड्स लैबोरेट्री	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
योग :	305046025.00	334584.00	0.00	312108431.00	275216917.00	2856951.00	535407.00	0.00	3431733.00	278648650.00	0.00	33459781.00	29829108.00
विगत वर्ष का योग	304711441.00	334584.00	0.00	305046025.00	271595675.00	3545730.00	75512.00	0.00	3621242.00	275216917.00	0.00	29829107.94	33115764.94

कृते मनोज वत्सल एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स,

हस्ता./-

मनोज वत्सल एंड कम्पनी
भागीदार

मेम्बरशिप नं० 025757

फर्म रजि० नं० 010155C

UDIN- 230257578GPYJQ6884

स्थान- हल्द्वानी

दि० 29.09.2023

हस्ता./-

एस. के. पाण्डेय
मुख्य वित्तीय अधि०

PAN: AUSPP4490R

कृते किच्छा शुगर कम्पनी लि० के निदेशक मण्डल की ओर से
CIN : U15421UR1972SGC003513

हस्ता./-

हर्ष तिवारी
कम्पनी सचिव

PAN-ARHPT5411A

स्थान- देहरादून

दि० . 29.09.2023

हस्ता./-

त्रिलोक सिंह मर्तोलिया
अधिशासी निदेशक

DIN 09311718

हस्ता./-

विजय कुमार यादव
अध्यक्ष

DIN 09462188

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड, किच्छा
31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का स्थिति पत्रक

1.1- अंश पूंजी		(राशि लाख रू० में)	
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1.	अधिकृत अंशपूजी :		
	20,00,000 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का	2000.00	2000.00
	3000-9% (कम्पनी कर से मुक्त परन्तु श्रोत पर कर कटौती योग्य) विमोच्य संचयी बरीयान अंश		
	प्रत्येक रू० 1000/- का	30.00	30.00
		2030.00	2030.00
2.	निर्गमित :		
	1840635 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का	1840.64	1840.64
	(2017-18 : 1840635) साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का		
		1840.64	1840.64
3.	अभिदत्त :		
	1799042 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का		
	(2017-18 : 1799042 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का)	1799.04	1799.04
		1799.04	1799.04
4.	दत्त :		
	1798643 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का	1798.64	1798.64
	(2017-18 : 1798643 साम्य अंश प्रत्येक रू० 100/- का)		
		1798.64	1798.64
	योग	1798.64	1798.64
1.2-	अंशों की संख्या एवं धनराशि का समन्वय निम्नप्रकार है:-		
क्र०सं०	विवरण	साम्य अंश	
		संख्या	धनराशि
	वर्ष के प्रारम्भ में अंश रहतियां	1840635.00	1840.64
	जोड़िये- वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-
	घटाइये- वर्ष के दौरान वापस लिये गये अंश	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर बकाया अंश	1840635.00	1840.64
1.3-	अभिदत्त अंशों की संख्या का समन्वय निम्नप्रकार है:-		
क्र०सं०	विवरण	साम्य अंश	
		संख्या	धनराशि
	वर्ष के प्रारम्भ में अभिदत्त अंश रहतियां	1799042.00	1799.04
	जोड़िये- वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-
	घटाइये- वर्ष के दौरान वापस लिये गये अभिदत्त अंश	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर बकाया अंश	1799042.00	1799.04
1.4-	दत्त अंशों की संख्या का समन्वय निम्नप्रकार है:-		
क्र०सं०	विवरण	साम्य अंश	
		संख्या	धनराशि
	वर्ष के प्रारम्भ में दत्त अंश रहतियां	1798643.00	1798.64
	जोड़िये- वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-
	घटाइये- वर्ष के दौरान वापस लिये गये अभिदत्त अंश	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर अभिदत्त अंश	1798643.00	1798.64
1.5-	निर्गमित एवं अभिदत्त अंशों का समन्वयन निम्न प्रकार है:-		
क्र०सं०	अंशधारक का नाम	साम्य अंश	
		अंशों की संख्या	धनराशि
	वर्ष के प्रारम्भ में दत्त अंश रहतियां	41593.00	41.59
	जोड़िये- वर्ष के दौरान निर्गत अंश	-	-
	घटाइये- वर्ष के दौरान वापस लिये गये अभिदत्त अंश	-	-
	वर्ष की समाप्ति पर बकाया अंश	41593.00	41.59
1.6-	अधिकार, वरीयता एवं प्रतिबन्ध :		
	सामान्य साम्य अंश वोटिंग अधिकार एवं लाभांश सहित एवं विमोच्य वरीयान अंश पर लाभांश समाधान के पश्चात् पुनर्भुगतान		
1.7-	धारक कम्पनी द्वारा धारित अंश	लागू नहीं	लागू नहीं
1.8-	5 प्रतिशत से अधिक धारित अंशधारकों का विवरण	31.03.2021	
क्र०सं०	अंशधारक का नाम	साम्य अंश	
		अंशों की संख्या	धारित प्रतिशत
	महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड	1,753,584	97.49
	योग-	1,753,584	97.49

1.9-	सुरक्षित अंश	शून्य	शून्य
1.10-	31.03.2019 के पूर्ववर्ती 5 वर्षों की सूचना:		
	1. बिना नकद भुगतान प्राप्त किये आवंटित अंश	शून्य	शून्य
	2. पूर्ण रूप से दत्त आवंटित बोनस अंश	शून्य	शून्य
	3. वापस क्रय किये गये अंश	शून्य	शून्य
1.11-	परिवर्तनीय जमानत राशियों की शर्तें	लागू नहीं	लागू नहीं
1.12-	मांग, जिनका भुगतान नहीं हुआ	शून्य	शून्य
1.13-	जब्त किये गये अंश	शून्य	शून्य
2.	संचितियां एवं आधिक्य : अन्य संचितियां (शीरा संचय स्कंध निधि)		लाख रु० में
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
	शीरा संचय स्कंध निधि		
	गतवर्ष के अवशेष जो अग्रसारित किये गये	17.71	16.95
	जोड़िये- वर्ष हेतु प्राविधान	0.92	0.76
	घटाइये- संबंधित खर्चे	0.00	0.00
	योग-	18.63	17.71
नोट :	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1989 में रिजर्व के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पर्याप्त मात्रा में शीरे के संरक्षण एवं रख-रखाव हेतु इस रिजर्व को बनाया गया है। कम्पनी द्वारा नोटिफिकेशन में निर्दिष्ट दर पर धनराशि को इस रिजर्व फण्ड में स्थानान्तरित किया गया है।		
2.1	संचितियां एवं आधिक्य : लाभ-हानि खाता		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
i	आधिक्य (लाभ-हानि खाता)		
	गतवर्ष के अवशेष जो अग्रसारित किये गये	(29439.67)	(31466.05)
	घटाइये- आयकर हेतु प्राविधान	-	-
	आयकर पर ब्याज का प्राविधान	-	-
	जोड़िये- आलोच्य अवधि का लाभ	-1331.15	2026.38
	योग (लाख रु० में)	-30770.82	-29439.67
3-	लम्बी अवधि के ऋण		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1.	सावधिक ऋण		
i.	सुरक्षित ऋण	-	-
ii.	असुरक्षित ऋण :		
2.	संबंधित पार्टियों से ऋण :		
	ए. उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण	300.00	300.00
	(सभी ऋण असुरक्षित हैं। प्रत्येक ऋण का विवरण नोट नं० 3.1 पर दिया गया है)		
	योग (लाख रु० में)	300.00	300.00
4-	अल्प अवधि के ऋण :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1.	मांग पर ऋणों का पुनर्भुगतान (कार्यशील पूँजी ऋण)		
	- बैंक से (भण्डार के विरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षित)		
	(अ) ऊधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक लि०, किच्छा में कैश	3052.22	1772.14
	क्रेडिट एकाउण्ट- नान शेडयूल्ड बैंक		
	(हमारे गोदाम में बंधक रखी चीनी के विरुद्ध बैंक द्वारा स्वीकृत कैश क्रेडिट)	-11.26	
	(ब) स्टेट बैंक आफ इंडिया, किच्छा		33.77
	(एफ.डी.आर. के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन स्वीकृत)		
	योग (लाख रु० में)	3040.96	1805.91
5.	व्यापारिक देय		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	गन्ना मूल्य देय	6607.41	6217.85
2	सामग्री तथा आपूर्तिकर्ताओं की लेनदारी	74.06	38.36
	योग (लाख रु० में)	6681.47	6256.21
6	अन्य चालू दायित्व :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	लम्बी अवधि के ऋणों की करेन्ट मैच्युटी	11631.69	11631.69
2	उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण पर उपाजित एवं देय ब्याज	22379.30	20544.20
3	अन्य दायित्व	1105.35	1034.45
4	देय आयकर	0.00	0.00
	योग (लाख रु० में)	35116.34	33210.34

6.1	लम्बी अवधि के ऋणों की करेन्ट मैच्युटी		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1.	उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण	11631.69	11631.69
	(सभी ऋण असुरक्षित हैं। प्रत्येक ऋण का विवरण नोट नं० 3.1 में दिया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, कम्पनी ऋण तथा ब्याज का पुनर्भुगतान देय तिथि तक उत्तराखण्ड शासन को करने में असफल रही है।		
	योग (लाख रु० में)	11631.69	11631.69
6.2	उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1.	उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त ऋण पर देय ब्याज :	22379.30	20544.20
	(सभी ऋण असुरक्षित हैं। प्रत्येक ऋण का विवरण नोट नं० 3.1 में दिया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण, कम्पनी उत्तराखण्ड शासन के ऋण तथा उस पर उपार्जित ब्याज का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण चालू दायित्व के अन्तर्गत दर्शाया गया है।)		
7-	अल्प अवधि हेतु प्राविधान :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	शासकीय गारण्टी फीस	223.25	307.10
2	ग्रेच्युटी प्रीमियम- अंशदान स्कीम	82.39	56.57
3	कर्मचारियों के वेतन एवं मजदूरी के एरियर हेतु प्राविधान	400.00	394.60
4	अवकाश नकदीकरण हेतु प्राविधान	76.99	228.58
5	सोसायटी एवं काउन्सिल कमीशन का प्राविधान	0.00	326.13
6	व्यय हेतु अल्पकालिक प्राविधान	4.71	4.71
7	बिक्री कमीशन हेतु अल्पकालिक प्राविधान	16.34	23.74
	योग (लाख रु० में)	803.68	1341.43
गैर चालू परिसम्पत्तियां :			
8. परिसम्पत्ति, प्लान्ट एवं संयंत्र :			
	वास्तविक परिसम्पत्तियां :	(शुद्ध मूल्य लाख रु० में)	
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
	भूमि (लीज पर)	0.00	0.00
	भवन	99.22	75.49
	प्लाण्ट एवं संयंत्र	208.12	201.15
	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	2.77	1.83
	वाहन	8.25	3.58
	कार्यालय उपकरण	1.07	0.66
	अन्य	15.17	15.58
	योग (लाख रु० में)	334.60	298.29
*लीज होल्ड भूमि का नवीनीकरण आगामी 30 वर्ष हेतु वर्ष 2047 तक करा लिया गया है।			
8.1	अचल परिसम्पत्तियों का विवरण संलग्नक 8.1		
9.	गैर चालू निवेश		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
(अ)	साम्य अंशों में निवेश	0.00	0.00
(i)	एन०एस०सी० (शासकीय अधिकारियों के पास बंधक)	0.02	0.02
	योग (लाख रु० में)	0.02	0.02
10	इन्वेन्ट्रीज :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
ए.	कच्चा माल गन्ना क्रय दर पर	0.00	12.01
बी.	न्यूनतम लागत मूल्य या शुद्ध विक्रय मूल्य पर :		
	तैयार चीनी	11567.48	10927.99
	निर्माणाधीन चीनी	174.01	109.67
	शुद्ध विक्रय मूल्य पर :		
	शीरा	1089.01	1173.24
	शीरा प्रक्रिया में	35.68	31.74
	बैगास	18.90	23.97
	भारित औसत लागत पर :		
	अन्य स्टोर्स एवं स्पेयर पार्ट्स	205.62	235.53

	फुटकर पुर्जे	1.42	1.18
	योग (लाख रु० में)	13092.12	12515.33
11-	प्राप्ति योग्य व्यवसायिक प्राप्तियां		
क्र०सं०	विवरण	31.3.2023	31-03-2022
	ए) असुरक्षित, अच्छे माने हुए		
1	6 माह से अधिक समय से देय	85.74	52.91
2	अन्य	-	-
	बी) असुरक्षित, संदिग्ध माने हुए		
1	6 माह से अधिक समय से देय	-	-
2	अन्य	-	-
	योग (लाख रु० में)	85.74	52.91
12	नकद एवं नकद के समतुल्य		
क्र०सं०	विवरण	31.3.2022	31.3.2022
1	हस्तगत रोकड़		
	रोकड़ अवशेष	0.83	0.92
	उप योग (ए)	0.83	0.92
	बैंक अवशेष		
(A)	शेडयूल्ड बैंक में		
i)	चालू खाते में	29.92	84.11
	पी.एन.बी. 211948 / -		
	एस.बी.आई. 8197746.07 / -		
	बी.ओ.बी. 1783.50 / -		
(ii)	स्टेट बैंक आफ इंडिया	721.10	685.84
	के खाते में फिक्स्ड डिपोजिट एवं उस पर उपाजित ब्याज सहित)		
	1. स्टेट बैंक आफ इंडिया		
	एफ.डी.आर.रु० 67774967 / - के ओवर ड्राफ्ट हेतु बंधक		
	2. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के पास		
	एफ.डी.आर.रु० 615415 / - बंधक		
	3. एफ.डी.आर.रु० 193377 / - पालुशन कन्ट्रोल बोर्ड के पक्ष में		
	बैंक के पास बंधक		
(iii)	स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास फिक्स्ड डिपोजिट	-	-
(B)	नान शेडयूल्ड बैंक :		
(a)	चालू खाते में :		
(i)	यू०एस०नगर डिस्ट्रिक्ट कोआ० बैंक (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 177979356 / -)	19.99	104.20
(ii)	यू०एस०नगर डिस्ट्रिक्ट कोआ० बैंक के केन ट्रांसपो.(वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 13351006 / -) खाते में।	0.02	0.02
(iii)	यू०एस०नगर डिस्ट्रिक्ट कोआ० बैंक के चालू खाता 24 में (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 148917992.36 / -)।	143.01	637.83
(iv)	यू०एस०नगर डिस्ट्रिक्ट कोआ० बैंक के सोसायटी एवं काउन्सिल कमीशन खाता सं० 001535003100004 (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 4623658 / -)	0.01	0.01
(v)	कूर्मान्वल नगर सहकारी बैंक लि० (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 10189619.65)	0.01	3.67
(vi)	पेक्सिस बैंक (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 3351581.58)	0.02	0.02
(b)	सावधि जमाएं (i) यू०एस० नगर डिस्ट्रिक्ट कोआ० बैंक (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 33000771 / -)	1353.93	330.01
(ii)	कूर्मान्वल नगर सहकारी बैंक लि० (वर्ष 2022-23 में किसी समय अधिकतम अवशेष रु० 673675)	7.13	6.74
(iii)	एचडीएफसी बैंक में सावधि जमा पर अर्जित ब्याज सहित वर्ष 2022-23 के दौरान किसी भी समय अधिकतम बकाया शेष राशि रु० 30683977/-	306.84	
(C)	पोस्ट आफिस बचत खाते में (शासकीय बन्धक)	0.02	0.02
	उप योग (बी)	2582.06	1852.47
	योग (लाख रु० में) (ए+बी)	2582.06	1853.39

12.1	उपर्युक्त उल्लिखित समस्त फिक्सड डिपॉजिटसँ पर उपाजित ब्याज सहित शुद्ध विक्रय मूल्य (शुद्ध टी.डी.एस.)		
13.	अन्य चालू परिसम्पत्तियां		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	अन्य जमाओं पर उपाजित ब्याज	5.87	5.87
2	नकद या वस्तु के रूप में अग्रिम प्राप्तियां	302.43	283.79
3	उत्तराखण्ड शुगर्स को अग्रिम	218.04	151.54
4	शीरे पर प्रशासकीय प्रभार	4.82	1.51
5	जमानत एवं व्यवसायिक जमा	8.31	8.24
6	श्रोत पर घटाया गया आयकर	7.89	11.31
7	प्रोपेड एक्सपेन्सेज	6.30	7.88
8	मैट क्रेडिट	339.87	100.49
	योग (लाख रु० में)	893.53	570.63
14.	संचालन से आय :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
	तैयार माल :		
1	चीनी	14877.04	19396.14
	सह-उत्पाद :		
2	शीरा	1512.92	1319.13
3	बैगास	-	5.52
4	प्रेसमड	45.38	19.40
	घटाइये : चीनी एवं शीरे पर आवकारी शुल्क	16435.34	20740.19
	योग (लाख रु० में)	16435.34	20740.19
15	अन्य आय :		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	विविध प्राप्तियां	0.00	0.02
2	फार्म किराया	11.61	1.26
3	टेण्डर फार्म की बिक्री	2.96	1.04
4	स्क्रेप की बिक्री	0.89	16.15
5	स्टाफ से प्राप्त किराया	-	0.00
6	अन्य ब्याज (पोस्ट आफिस के बचत खाते एवं एफ.डी.आर.)	73.52	52.35
7	आयकर से रिफण्ड पर ब्याज	-	0.00
8	बफर स्टॉक क्लेम	19.99	276.98
9	वर्ष 2018-19 का निर्यात चीनी का क्लेम	523.69	1080.68
10	क्षति की वसूली	2.75	14.36
11	विविध विक्रय	4.25	0.94
12	जब्त की गई जमानत राशियां	0.40	0.25
	योग (लाख रु० में)	640.06	1444.03
16-	उपभोग की गई सामग्री का मूल्य:		
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
a)	कच्चा माल तथा स्टोर्स का उपभोग		
i)	गन्ने का मूल्य	15328.66	15008.38
ii)	अन्य प्रत्यक्ष संबंधित चार्जज	449.65	390.01
iii)	पैकिंग सामग्री	172.07	154.45
iv)	अन्य उपभोगी सामग्री	163.19	156.07
v)	सोसायटी एवं काउन्सिल कमीशन	398.17	367.05
vi)	स्टोर किराया एवं आकस्मिक खर्च	14.87	23.12
	योग (लाख रु० में)	16526.61	16099.08
नोट: - अन्य उपभोगी सामान के मूल्य में, कच्चे माल से चीनी बनाने में लगने वाले कैमिकल का मूल्य भी, सम्मिलित है।			
17-	इन्वेन्ट्रीज में परिवर्तन		
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
	इन्वेन्ट्रीज (वर्ष के अन्त में)		
1	तैयार चीनी	11567.48	10927.99
	चीनी प्रक्रिया में	174.01	109.67
	शीरा	1089.01	1173.24
	शीरा प्रक्रिया में	35.68	31.74
	बैगास	18.90	23.97
	गन्ना	0.00	12.01
		12885.08	12278.62
2	इन्वेन्ट्रीज (वर्ष के प्रारम्भ में)		
	तैयार चीनी	10927.99	15207.82
	चीनी प्रक्रिया में	109.67	67.52
	शीरा	1173.24	581.22
	शीरा प्रक्रिया में	31.74	23.85
	बैगास	23.97	20.37
	गन्ना	12.01	6.27
		12278.62	15907.05
		-606.46	3628.43

18-	सेवायोजन पर व्यय:		
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
1	निदेशकों को वेतन	17.17	15.18
2	वेतन एवं मजदूरी (रिटैनिंग एलाउन्स सहित)	1935.73	2012.72
3	आउट सोर्स मैन पावर एजेन्सी को वेतन एवं मजदूरी	547.33	564.99
4	कर्मचारियों एवं स्टाफ के कल्याण हेतु व्यय	52.52	42.41
5	भविष्य निधि में अंशदान	181.77	183.80
6	पेन्शन निधि में अंशदान	40.65	45.56
7	इम्पलाइज डिपोजिट लिंक इन्व्हेस्टमेंट निधि में अंशदान	3.17	3.26
8	रिटायरमेंट ग्रेज्युटी	179.66	193.19
9	अधिकारियों के एरियर का प्राविधान	0.00	47.49
	योग (लाख रु० में)	2958.00	3108.60
19.	वित्तीय लागत		
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
1.	सुरक्षित ऋण पर बैंक को ब्याज	152.95	334.70
2.	असुरक्षित ऋण पर अन्य ब्याज	1835.09	1835.09
3.	आयकर पर ब्याज	27.02	0.00
	योग (लाख रु० में)	2015.06	2169.79
20.	ह्रास एवं परिशोधित लागत		
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
1	ह्रास	34.32	36.21
	योग (लाख रु० में)	34.32	36.21
20.1	अचल परिसम्पत्तियों का विवरण संलग्नक 8.1		
21.	अन्य व्यय		(राशि लाख रु० में)
क्र०सं०	विवरण	2022-23	2021-22
1	पावर एण्ड फ्यूल	293.04	182.80
2	शासकीय गारन्टी हेतु प्राविधान	17.12	86.63
3	शीरा संचयी स्कन्ध निधि सुविधा	0.92	0.76
4	विक्रय व्यय (विक्रय दलाली सहित)	99.97	95.10
5	बीमा	21.76	17.47
6	गन्ना विकास अंशदान हेतु व्यय	9.95	27.74
7	किराया एवं कर, लाइसेन्स फीस सहित	2.42	2.96
8	बाह्य क्रय केन्द्र हेतु किराया	2.19	1.91
9	भवनों की मरम्मत एवं देखभाल	44.88	53.36
10	मशीनरी की मरम्मत एवं देखभाल	576.86	449.02
11	अन्य मरम्मत एवं देखभाल	2.97	8.81
12	यातायात व्यय		
	i) अधिशासी निदेशक	0.17	0.25
	ii) अन्य स्टाफ	2.23	0.73
	iii) रिक्शा व्यय	0.01	0.53
13	सांविधिक सम्प्रेक्षकों को पारिश्रमिक		
	i) आडिट फीस	0.30	0.30
	ii) टैक्स आडिट फीस	0.15	0.10
14	कार्ट आडिट फीस	0.20	0.20
15	मनोरंजन एवं अतिथि गृह व्यय	2.83	2.78
16	वाहन परिचालन व्यय	10.00	7.13
17	विधिक व्यय	1.07	1.85
18	विज्ञापन व्यय	4.65	2.57
19	बैंक चार्ज	0.05	0.40
20	डाक एवं टेलीफोन	0.29	2.34
21	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	2.14	3.64
22	किताबें एवं मैगजीन	4.31	0.15
23	फाइलिंग फीस	0.17	0.36
24	उपभोगी सामान्य सामग्री	0.57	1.03
25	विविध	1.34	0.29
26	प्रदूषण नियन्त्रण पर व्यय	1.46	13.44
27	कम्प्यूटर व्यय	11.82	4.45
28	उत्तराखण्ड शुगर्स को प्रशासकीय व्यय अंशदान	2.80	79.08
29	मीटिंग एण्ड कॉन्फ्रेंस व्यय	69.52	1.01
30	व्यवसायिक व्यय	2.13	5.45
31	सी० जी० एस० टी०	8.98	0.00
32	एस० जी० एस० टी०	1.07	0.00
33	आई० जी० एस० टी०	1.07	0.00
34	सी० एस० आर० व्यय	10.80	0.22
35	व्वायलर राखी को हटाने पर व्यय	7.29	6.60
36	आउट साइड गोदाम का किराया व अन्य व्यय	0.00	48.83
37	राईट ऑफ हुए एफ० डी पर आधिक्य ब्याज का प्राविधान	0.00	28.78
	योग (लाख रु० में)	1219.50	1139.07

22.	विशिष्ट सामग्री (अवधि से पूर्व के आइटम्स) वित्तीय वर्ष 2022-23		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	वर्ष से पूर्व के व्यय	डेबिट 8.37	1.50
2	गतवर्षों से संबंधित आय	क्रेडिट 109.06	0.00
	शुद्ध अवशेष - लाख रु० में	117.43	1.50
23.	विशिष्ट आइटम्स वित्तीय वर्ष 2022-23		
क्र०सं०	विवरण	31-03-2023	31-03-2022
1	उत्तराखण्ड शासन से पेरार्ड सत्र 2022-23 के गन्ना मूल्य भुगतान हेतु प्राप्त वित्तीय सहायता	3538.82	6024.84
2	उत्तराखण्ड शासन से सब्सिडी प्राप्त हुई। से सब्सिडी प्राप्त हुई। सरकार के लिए गारंटी शुल्क 2022-23	100.97	
	योग (लाख रु० में)	3,639.79	6024.84

कम्पनी द्वारा सत्र 2020-21 में क्रय किये गये गन्ने के गन्ना मूल्य भुगतान के लिए शासकीय सहायता रु० 353882000/-, उत्तराखण्ड सरकार से रु० 10097000/- की गारन्टी शुल्क 2020.21 प्राप्त हुई। जिसे कम्पनी द्वारा वर्ष के दौरान हुई आय को "अति विशिष्ट आइटम" के अन्तर्गत